अतिआवश्यक
गणतंत्र दिवस–2021

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:– प.23(7)साप्र/2/2020 जयपुर, दिनांक: 12·01·2021

समस्त सम्भागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलक्टर (जयपुर को छोड़कर)।

OIC
Gen Sec.
G4.
12.1.21

विषय :– गणतंत्र दिवस समारोह–2021

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि गणतंत्र दिवस समारोह–2021 (26 जनवरी, 2021) सम्पूर्ण राज्य में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जावे। कार्यक्रमों के आयोजन में कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे जिनमें मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. सम्पूर्ण कार्यक्रमों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जावे।
2. बच्चों एवं बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में आमंत्रित/शामिल नहीं किया जावे।
3. कार्यक्रम में शामिल होने वाले महानुभावों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य हो।
4. कार्यक्रम स्थल पर आगन्तुकों के लिए थर्मल स्केनिंग तथा हैण्ड सैनेटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो।
5. सोशल डिस्टेंसिंग रखना संभव नहीं हो पाने के मद्देनजर योग्यता प्रमाण–पत्र/पुरस्कार वितरण संबंधी कार्यक्रम को भी स्थगित रखा जावे।
6. कार्यक्रम में कोरोना महामारी व इसके प्रबंधन तथा सावधानी बरतने हेतु जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम तैयार किया जावे। ऐसे कार्यक्रम में यदि कोई झांकी होती है तो उसे शामिल किया जा सकता है।
7. सांस्कृतिक कार्यक्रम की थीम यथासंभव "कोरोना" पर आधारित रखी जावे।
8. यथासंभव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जन जागृति अभियान में शामिल जिंगल्स/ऑडियो का कार्यक्रम से पूर्व ध्वनि प्रसारण यंत्र से प्रसारण करवाया जा सकता है।

इसी के अनुरूप जिला मुख्यालयों पर अधोलिखित विविध कार्यक्रमों की अपेक्षा की जाती है:–

1. समस्त राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा।
2. गणतंत्र दिवस समारोह–2021 के अवसर पर दिनांक 26 जनवरी, 2021 को संभागीय/ जिला मुख्यालयों (जयपुर के राज्य स्तरीय समारोह को छोडकर) पर आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के लिये प्रभारी मंत्री महोदय के मनोनयन की सूचना पृथक से भेजी जा रही है। इन स्थानों पर प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। यदि इस अवसर पर प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित न हों तो ऐसी स्थिति में सम्भागीय मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त तथा जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा।
3. संभागीय स्तर व जिला स्तर पर राष्ट्रीय पर्व को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा जिसमें अर्द्ध सैनिक बल, पुलिस की टुकडियां भाग लेंगी। यथा संभव सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं सामूहिक नृत्य, देशभक्ति के गीत गाये जायें। (कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाये)
4. जिलों के मुख्य समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़ा जायेगा। यह संदेश पृथक से भेजा जा रहा है।
5. शिक्षण संस्थाऐं अपने यहां समारोह की व्यवस्था करें तथा इस अवसर पर सामूहिक राष्ट्रगान भी करें। कोरोना महामारी के मद्देनजर छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल/आमंत्रित नहीं किया जाये।
6. राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये एवं कार्यक्रम की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि जनता स्वयं उसमें आगे होकर भाग ले सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिला अधिकारी स्थानीय समितियाँ बनायें ताकि कार्यक्रम भलीभांति उत्साहपूर्वक मनाया जा सके और उसकी क्रियान्विति यथोचित रूप से की जा सके। कोरोना महामारी के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाये।
7. समस्त स्थानीय संस्थाओं और जन साधारण से अनुरोध किया जाये कि राष्ट्रीय ध्वज अपने–अपने भवनों, निवास स्थानों पर फहरावें।

www.rajteachers.com

8. स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं जिलों में निवास कर रहे शहीदों के परिवार के सदस्यों को जिला मुख्यालय, उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित समारोह में आमंत्रित किया जावे तथा उनके उचित सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था की जावे।
9. कोरोना महामारी के कारण स्वतंत्रता सैनानियों एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर आमंत्रित नहीं किया जाये। इसके स्थान पर उन्हें शुभकामना कार्ड निवास के पते पर प्रेषित किया जावे जिसमें कोरोना के कारण उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर आमंत्रित नहीं किये जाने का उल्लेख हो।
10. साहित्य कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जावे।
11. भारत रत्न, राजस्थान रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पदमश्री उपाधि एवं अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्तकर्ताओं तथा राज्यस्तर/जिलास्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जावे।
12. उपखण्ड स्तर के समारोह में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय झण्डा फहराने का कार्य किया जायेगा तथा राष्ट्रगान होगा।
13. पंचायत मुख्यालयों पर सरपंचों द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी। जिन स्थानों पर पंचायत/नगर निकाय में चुनाव/उपचुनाव संभावित है, उन पंचायत/नगर निकायों के मुख्यालयों एवं बड़े-बड़े गांवों में समारोह में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में से जो भी उच्च स्तर का सरकारी विद्यालय होगा उसके प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जायेगी।
15. नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव/उप चुनाव होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

www.rajteachers.com

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजभवन,जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक, पुलिस/होमगार्डस/जेल विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
8. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
10. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
13. समस्त पुलिस आयुक्त, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
15. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि गणतंत्र दिवस समारोह-2021 के कार्यक्रम पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय पर संभावित आम चुनाव/उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये आयोजित करने हेतु अपने स्तर पर निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।
17. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी